



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 श्रावण, 1944 (श०)

संख्या - 405 राँची, सोमवार,

22 अगस्त, 2022 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

अधिसूचना

18 अगस्त, 2022

अधि० सं०-02/ स्था०श्र०नि०प्र० (नियो०)-03-09/2020श्र०नि०- 1328--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपालएतद द्वारा झारखण्ड राज्य के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के नियंत्रणाधीन राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड की अधिसूचना संख्या - 3372 दिनांक-18-06-2003 द्वारा प्रवृत्त केन्द्रीय परीक्षा नियमावली के भाग -I (सभी राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए प्रयोज्य) के नियम 13 (iii) के आलोक में निम्न रूप से लेखा परीक्षा नियमावली बनाते हैं:-

नियोजन सेवा लेखा परीक्षा नियमावली 2022**भाग-II**

1. झारखंड नियोजन सेवा संवर्ग हेतु झारखंड नियोजन सेवा (संशोधित)नियमावली 2015 में विहित लेखा परीक्षा हेतु झारखंड प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अनुरूप निम्न रूप से लेखा परीक्षा का पाठ्यक्रम, पूर्णांक, उत्तीर्णांक, परीक्षा अवधि इत्यादि निर्धारित किया जाता है :-

SECTION-ACCOUNTS (y[kk)

The examination in accounts will be in two papers, each carrying 100 marks. There will be only one standard, with 50 percent as the Pass mark. The following course has been prescribed:-

PAPER I- WITHOUT BOOKS- DURATION 1 $\frac{1}{2}$ HOURS

- i) “An introduction of Indian Government Accounts and Audit”
(Second edition), Published in 1940, under the authority of the Auditor-General of India. Chapters 6, 7, 8, 9 (Paragraphs 138 to 164, 170, 179, 187 and 192 only) 10, 11, 13 to 19 and 27.
- ii) The Bihar Treasury Code Volume-I-Chapters I to IV and Chapter V (Sections I, II and III only). Adopted in Jharkhand.

PAPER II- WITH BOOKS- DURATION 1 $\frac{1}{2}$ HOURS

- i) The Bihar Service Code, Chapters VI (Section I and VIII only) and VIII. Adopted in Jharkhand.
- ii) Bihar Treasury Code, Volume I. Adopted in Jharkhand.
- iii) Bihar T.A. Rules. Adopted in Jharkhand.
- iv) Bihar Pension Rules, Chapters III, VIII (Section I), X, XI (Section I and II) and XII.
- v) Bihar Financial Rules Vol-I + II Adopted in Jharkhand.

2. यह नियमावली अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पवन कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
